रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249026
CG-DL-E-27092023-249026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945
No. 551] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 695(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (हवलदार) भर्ती नियम, 2018, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (हवलदार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. गृह मंत्रालय , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (हवलदार) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

(i) स्तम्भ (2) में, "51" अंक के स्थान पर "68" अंक रखे जायेंगे;

(ii) स्तम्भ (12) में, क्रम संख्या (3) पर "सहायक निदेशक, केंद्रीय अर्धसैनिक बल-सदस्य" प्रविष्टि के स्थान पर "सहायक कमांडेंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल-सदस्य" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. I-12014/41/2017-एनसीबी- II]

प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप.-खंड (i) तारीख 21 जून, 2018, में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580 (अ), तारीख 19 जून 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ज्येष्ठ 31, 1940
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

सा.का.नि. 580(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय,स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग') पद, भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में हवलदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (हवलदार) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल .**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**– उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**– वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा **:**

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हवलदार।	51*(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	लेवल–01 (18000–56900 रू.)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	80% स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सिपाहियों में से पुनः भर्ती (री–मस्टरिंग) द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 20% प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनःभर्ती (री–मस्टरिंग) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
पुनः भर्ती(री–मस्टरिंग): स्वापक नियत्रण ब्यूरो के ऐसे सिपाही जिन्होंने न्यूनतम पाच वर्ष की नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे कार्मिक जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर हवलदार या हैड कांस्टेबल का पद धारण किए हों। **टिप्पण–1** : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण–2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण–3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति में (हवलदार के पद पर सिपाहियों की पुनःभर्ती (री–मस्टरिंग) पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :– (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –**अध्यक्ष** (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –**सदस्य एवं** (3) सहायक निदेशक, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल –**सदस्य**	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. I–12014/41/2017–एन सी बी–II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव